निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-93/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक - चतुर्थ देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबन्धक - चतुर्थ देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.10.2018 से 31.10.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय मिश्रा एवं श्री रमेश कुमार केशरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.09.2017 से 28.09.2017 तक श्री अशोक कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	11757.33
2016-17	11590.51
2017-18	13775.11

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16			शून्य					
2016-17								
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

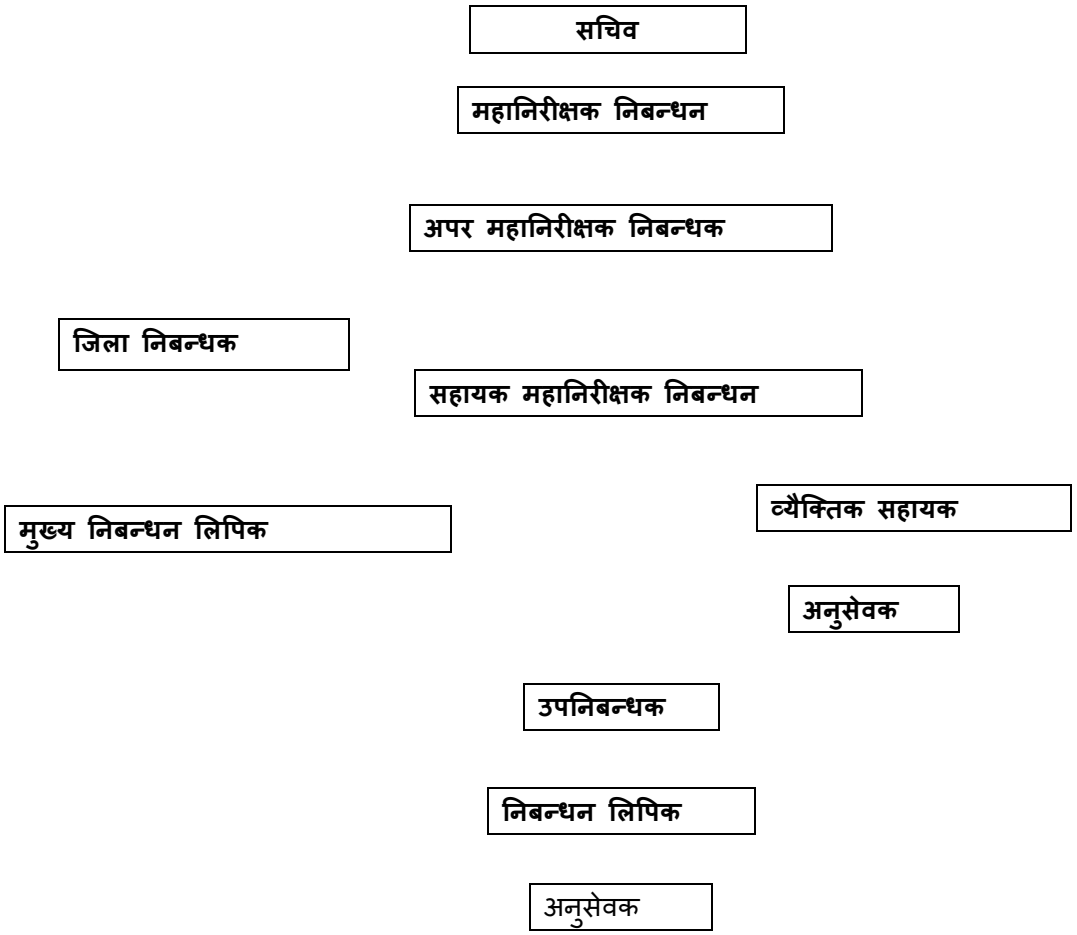

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक - चतुर्थ देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II(ब)

प्रस्तर सं॰ 1 : स्टांप शुल्क की कम वसूली ₹ 17,900 /-

उत्तराखंड शासन संख्या 42XXVII /(9)2014/स्टाम्प -03/2014 दिनांक 26-02-2014एवं संख्या 188 /2014/XXVII(9)/स्टांप -03/2014 दिनांक 20-08-2014 के अनुसार वैयक्तिक या प्रथक रूप से राज्य के सेवारत /सेवानृवित सैन्य अधिकारीओ /कार्मिको को 25 लाख तक की स्थावर संपति के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क मे अनुमन्य 25% तक कमी किए की जाने की छूट को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया हैं|

कार्यालय उप निबंधक चतुर्थ देहारादून की 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखो की विलेखो संबन्धित नमूना लेखापरीक्षा जांच मे विलेख पत्रो मे निम्नलिखित कामिया पाई गई थी, जिनके विवरण निम्न हैं |

(1) बही -01, जिल्द संख्या 3933 , क्रमांक 2117 दिनांक 05-03-18 को पंजीकृत कराया गया था जिसपर सैन्य कर्मी क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क ₹ 54000/- अदा किया गया था |परन्तु सेना में सेवा सम्वन्धी प्रमाण पत्र विलेख मे अंकित नहीं किया गया था जिससे छूट का लाभ दिया जा सके इसलिए दी गई छूट त्रुटिपूर्ण थी|सही स्टाम्प शुल्क कि गणना निम्नानुसार होगी |

विक्रीत संपति का मूल्यांकन राशि =₹ 14,38,000/-

देय स्टाम्प शुल्क =₹ 71900 /- (14,38,000/-×5%)

दिया गया स्टाम्प शुल्क =₹ 54000/-

स्टाम्प शुल्क मे कमी =₹ 17,900 /- (71900-54000)

उपरोक्त विलेख पत्रो मे कुल स्टाम्प शुल्क कि कमी ₹ 17,900/-की वसूली न किए जाने के कारण राजस्व हानि हुई थी ।

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ,इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि विलेख के पृष्ठ -07 पर स्पष्ट वर्णित है कि क्रेता उत्तराखंड का मूल निवासी हैं एवं भारतीय सैनिक हैं जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क कि छूट ली गई हैं

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि विलेख मे क्रेता सैनिक हैं, का सेना संबन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं था | इसलिए दी गई छूट अनुमन्य नहीं थी|

अत: स्टाम्प शुल्क ₹ 17,900 /- की कमी का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता हैं |

भाग 2 "ख"

प्रस्तर सं० 2 : निबंधन शुल्क अनारोपित रहना ₹ 50,000 /-

भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 के परिशिष्ठ - 7 की टिप्पणी 1 में प्रावधान किया गया है कि किसी दस्तावेज़ के निबंधन के लिए फीस जिसमें सुभिन्न मामले समाविष्ट हों, ऐसे फीस योग्य होगी, जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उससे संबन्धित पृथक-2 दस्तावेज़ पर प्रभार्य होगी ।

(1) कार्यालय उप निबंधकचतुर्थदेहारादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं० 1, जिल्द 3935 क्रमांक 2146 दिनांक 05 .03.2017 को निबंधित विलेख में वर्णित संपत्ति में विक्रेता दो है जो अपने-अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर रहे है इसलिए निबंधन शुल्क दो, अधिकतम ₹ 50,000/- लिया जाना चाहिए था, जो कि नही लिया गया था तथा जमा निबंधन शुल्क ₹ 25000/-था, इसप्रकार निबंधन शुल्क मे ₹ 25000/- कि कमी पाई गई थी|

(2) बही सं० 1, जिल्द 3639 क्रमांक 7497दिनांक 06.10.2017 को निबंधित विलेख में विक्रेता गणो मे से विक्रेता -01 एवं 02 ने विलेख बही -01 जिल्द -1820 क्रमांक 4178 दिनांक 11-05-2015 द्वारा क्रय कि गई थी और विक्रेता -03 ने बही -01 जिल्द -1796 क्रमांक 3840 दिनांक 30-04-2015 द्वारा क्रय कि गई थी |वर्तमान मे विक्रेता -01 एवं 02 अपनी उक्त भूमि मे से 207 वर्ग मी भूमि व विक्रेता -03 अपनी उक्त भूमि मे से 42.5 वर्ग मी भूमि विक्रय कर रहे हैं |उकतानुसार , विक्रय विलेख मे दो सुभिन्न विक्रेता थे अत : दो निबंधन शुल्क , अधिकतम ₹ 50,000/- लिया जाना चाहिए था, जो कि नही लिया गया थाजबकि जमा निबंधन शुल्क ₹ 25000/-था, इस प्रकार निबंधन शुल्क मे ₹ 25000/- कि कमी पाई गई थी|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने (1)के संबंध मे बताया कि प्रश्नगत विलेख में काही पर भी अंकित नहीं हैं कि क्रेतागण द्वारा पृथक -2 भूमि क्रय की गई हैं, उक्त पर नियमानुसार निबंधन शुल्क लिया गया हैं इकाई का उत्तर मान्य नहीं क्योकि विक्रेतागण दो हैं जिसके द्वारा अपने -2 भाग की भूमि विक्रय की गई थी इसलिए दो निबंधन शुल्क लिया जाना चाहिए था |इकाई ने (2)के संबंध मे बताया कि प्रश्नगत विलेख मेंपृष्ठ -06 पर अंकित विवरण संपति की एक चौहद्दी वर्णित हैं जिससे स्पष्ट हैं की विक्रेता गणो द्वारा

एक ही भूमि की विक्री की गई थी ,उक्त पर नियमानुसार निबंधन शुल्क वसूल किया गया हैं ।इकाई का उत्तर मान्य नहीं क्योकि विक्रेता -01 एवं -02 ने उक्त भूमि मे से 207 वर्ग मी भूमि व विक्रेता -03 अपनी उक्त भूमि मे से 42.5 वर्ग मी भूमि विक्रय कर रहे हैं, को पृष्ठ -04 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं, के संबंध मे कोई उत्तर नहीं दिया हैं इसलिए दो निबंधन शुल्क देय था |

अत:उक्त दोनो प्रकरणो मे निबंधन शुल्क ₹ 50000/- अनारोपित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 अ	2 ब	2 अ	2 ब	2 अ	2 ब
RS-18/2015-16	01,02	-	-	-	01,02	-
RS-72/2017-18	-	01	-	-	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या
72/2017-18	भाग-2ख, प्रस्तर 01	प्रस्तर में आपत्तिगत धनराशि का ब्याज सहित जमा करा लिया गया है। जबकी छायाप्रति संलग्न है

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबन्धक - चतुर्थ देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अवतार सिंह	उपनिबन्धक चतुर्थ देहरादून

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबन्धक - चतुर्थ देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र